जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1962

(1962 का जम्मू-कश्मीर अधिनियम संख्यांक 16)

[18 जुलाई, 1962]

सरकार के अधीन कतिपय लाभ के पदों को उनके धारकों को जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित न करने की घोषणा करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तेरहवें वर्ष में जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1962 है ।

2. परिभाषाएं--इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "प्रतिकरात्मक भत्ता" से ऐसी धनराशि अभिप्रेत है जो किसी पद धारक को, उस पद के कृत्यों के निष्पादन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ते (जो भत्ता उस दैनिक भत्ते की रकम से अधिक न होगा जिसके लिए जम्मू-कश्मीर विधान-मंडल का कोई सदस्य जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल अधिनियम, 1960 के अधीन हकदार है), किसी वाहन भत्ते, मकान किराया भत्ते या यात्रा भत्ते के रूप में संदेय है ;

(ख) "कानूनी निकाय" से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के द्वारा या अधीन स्थापित कोई निगम, समिति, आयोग, परिषद्, बोर्ड या व्यक्ति का अन्य निकाय अभिप्रेत है चाहे वह निगमित हो या न हो ;

(ग) "अकानूनी निकाय" से ऐसे व्यक्तियों का कोई निकाय अभिप्रेत है जो कानूनी निकाय से भिन्न हो ।

3. कतिपय लाभ के पद निरर्हित न करेंगे--यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों में से कोई पद, उसके धारक को जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए वहां तक निरर्हित न करेंगे जहां तक वे भारत सरकार या जम्मू-कश्मीर सरकार के अधीन लाभ के पद हैं, अर्थात्:--

(क) किसी मंत्री, राज्यमंत्री या उपमंत्री द्वारा, चाहे पदेन या नाम से, धृत कोई पद ;

(ख) जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल में किसी भी सदन में सचेतक, उप मुख्य सचेतक या सचेतक का पद ;

(ग) मुख्य संसदीय सचिव या संसदीय सचिव या संसदीय अवर सचिव का पद ;

(घ) [1]जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय या उक्त विश्वविद्यालय से संपृक्त किसी अन्य निकाय के सिंडिकेट, सिनेट, कार्यकारी समिति, परिषद् या सभा के अध्यक्ष या सदस्य का पद ;

[2][(घघ) सरकार द्वारा कानून के अधीन या किसी कार्यकारी आदेश द्वारा निम्नलिखित के संबंध में स्थापित किसी समिति, आयोग या बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य का पद--

(i) भ्रष्टाचार हटाना,

(ii) आयोजित रीति से राज्य का विकास,

(iii) भूमि सुधार ;]

(ङ) सरकार द्वारा किसी विशेष प्रयोजन के लिए भारत के बाहर भेजे गए किसी डेलिगेशन या मिशन के सदस्य का पद ;

---

[1] अब जम्मू-कश्मीर के विश्वविद्यालय ।

[2] 1963 के जम्मू-कश्मीर अधिनियम सं0 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

(च) लोक महत्व के किसी मामले के बारे में सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे मामले की जांच करने या उसके बारे में आंकड़े एकत्रित करने के प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई (चाहे एक या अधिक सदस्यों से मिलकर बनी) समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है ;

(छ) [1][खंड (घघ)] या खंड (च) में निर्दिष्ट किसी निकाय से भिन्न किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक, प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है ।

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अध्यक्ष या सचिव के पद के अंतर्गत उस प्रकार का हर पद आएगा चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाए ।

4. निरसन--जम्मू-कश्मीर विधान-मंडल (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1957 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

[1] 1963 के जम्मू-कश्मीर अधिनियम सं0 2 द्वारा अंतःस्थापित ।